



छत्तीसगढ़ संवाद

(जनसम्पर्क विभाग की सहयोगी संस्था)

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर

जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़

फोन नं. 0771-2512580, 81

Web:- <http://samvad.cg.nic.in>, email : cgsamvad@gmail.com

निविदा संशोधन सूचना

क्रमांक 2508/छ.ग.सं/प्रका./2022

नवा रायपुर अटल नगर दिनांक : 24/01/2022

छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा एल.ई.डी. (साईज 12'×8'/ 96 Sq feet) माउन्टेड व्हीकल के माध्यम से राज्य शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार के दर निर्धारण एवं योग्य फर्मों का इम्पैनलमेंट हेतु आमंत्रित ऑनलाईन निविदा की तिथि एवं नियम शर्तों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

1. तिथियों में संशोधन विवरण :-

ऑनलाईन निविदा में भाग लेने हेतु ऑनलाईन पंजीयन की तिथि	दिनांक 15/02/2022	समय 2:00 बजे अपरान्ह
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 15/02/2022	समय 3:00 बजे अपरान्ह
निविदा खोलने की तिथि	दिनांक 15/02/2022	समय 4:00 बजे अपरान्ह

2. नियम शर्तों में संशोधन विवरण :-

क्र.	संशोधन पूर्व नियम शर्तें एवं कार्य	संशोधन पश्चात् नियम शर्तें एवं कार्य
1	निविदा के बिन्दु क्र. 3.7 में उल्लेखित नियम एवं शर्तें :- संस्था का वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 कुल 03 वर्ष में व्हीकल माउन्टेड एल.ई.डी. के माध्यम से प्रचार-प्रसार संबंधित औसतन रु. 50 लाख का टर्नओवर होना अनिवार्य है। चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा सत्यापित टर्नओवर प्रमाण पत्र में व्हीकल माउन्टेड एल.ई.डी. के माध्यम से प्रचार-प्रसार कार्य का टर्नओवर होने का उल्लेख होना अनिवार्य है।	संस्था का वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 तीन वर्षों में औसतन रु. 50 लाख का टर्नओवर होना अनिवार्य है। चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा सत्यापित टर्नओवर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

2	निविदा के बिन्दु क. 4.5 में उल्लेखित नियम एवं शर्त :- वाहन में निरंतर बिजली आपूर्ति हेतु साइलेंट जनरेटर सेट होना अनिवार्य हैं।	वाहन में निरंतर बिजली आपूर्ति हेतु न्यूनतम 7.5 kv साइलेंट जनरेटर सेट होना अनिवार्य हैं।
3	निविदा के बिन्दु क. 7.1 में उल्लेखित नियम एवं शर्त :- वाहन न्यूनतम (साइज 12'x8'/96 Sq feet) की LED Mounted वाहन होनी चाहिए एवं निरन्तर विद्युत आपूर्ति व्यवस्था हेतु साइलेंट जनरेटर सेट, 1000 वॉट आहूजा/जे.बी. एल. /यामहा या समकक्ष का PA System से सुसज्जित होगी। वाहन का पंजीयन 3 वर्ष से ज्यादा पुरानी नहीं होगी। वाहन, शासन की विभिन्न योजनाओं का आकर्षक डिजाईनों एवं रंगों में मुद्रित फ्लैक्स से सुसज्जित होगी। प्रत्येक वाहनों में GPS System लगाकर समुचित Monitoring एक "मोबाईल-ऐप" के द्वारा वास्तविकता के आधार पर किया जाना होगा। मोबाईल-ऐप संबंधित संस्था द्वारा तैयार किया जाएगा। जिसके व्यय का अतिरिक्त भुगतान छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा नहीं किया जाएगा।	वाहन न्यूनतम (साइज 12'x8'/96 Sq feet) की LED Mounted वाहन होनी चाहिए एवं निरन्तर विद्युत आपूर्ति व्यवस्था हेतु साइलेंट जनरेटर सेट, 1000 वॉट आहूजा/जे.बी. एल. /यामहा या समकक्ष का PA System से सुसज्जित होगी। वाहन का पंजीयन 05 वर्ष से ज्यादा पुरानी नहीं होगी। वाहन, शासन की विभिन्न योजनाओं का आकर्षक डिजाईनों एवं रंगों में मुद्रित फ्लैक्स से सुसज्जित होगी। टेक्नीकल बिड में योग्य पाये गये फर्मों को LED Mounted Vehicle का प्रस्तुतीकरण डेमो वर्चुअल माध्यम से कराना होगा।
4	निविदा के बिन्दु क. 7.4 में उल्लेखित नियम एवं शर्त :- संस्था को कार्य के एवज में किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। कार्य पूर्ण होने पश्चात् फर्म द्वारा देयक प्रस्तुत किया जाएगा। तत्पश्चात् छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा विभागों को देयक भेजा जाएगा एवं विभागों से देयक का भुगतान प्राप्त होने पश्चात् ही फर्मों को भुगतान किया जाएगा।	संस्था को कार्य के एवज में किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। कार्य पूर्ण होने पश्चात् फर्म द्वारा देयक प्रस्तुत किया जाएगा। तत्पश्चात् छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा विभागों को देयक भेजा जाएगा एवं विभागों से देयक का भुगतान प्राप्त होने पश्चात् ही फर्मों को भुगतान किया जाएगा। किसी कारणवश किसी दिन न्यूनतम निर्धारित 04 कार्यक्रम से कम कार्यक्रम होने की स्थिति में निविदा के न्यूनतम दर के अनुपातिक दर पर देयक भुगतान किया जाएगा। परंतु किसी कारणवश किसी दिन 04 कार्यक्रम ना हो पाने के कारण की तथ्यात्मक जानकारी से छत्तीसगढ़ संवाद को अवगत कराना होगा।
5	निविदा के बिन्दु क. 5.2 में उल्लेखित नियम एवं शर्त :- एल. ई. डी. माउन्टेड व्हीकल में प्रचार/ब्रांडिंग आदि गतिविधियों में संलग्न होना अनिवार्य है। इस हेतु ट्रैकिंग (वस्तुस्थिति) की जानकारी हेतु GPS सिस्टम होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त ऑडियो विजुअल उपकरण जिसमें माइक्रोफोन, स्पीकर, एम्प्लीफायर, 20KV जनरेटर एवं एल. ई. डी. स्क्रीन (साइज 12'x8') वाहन में होना अनिवार्य है।	एल. ई. डी. माउन्टेड व्हीकल में प्रचार/ब्रांडिंग आदि गतिविधियों में संलग्न होना अनिवार्य है। इस हेतु ट्रैकिंग (वस्तुस्थिति) की जानकारी हेतु GPS सिस्टम होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त ऑडियो विजुअल उपकरण जिसमें माइक्रोफोन, स्पीकर, एम्प्लीफायर, 7.5 kv साइलेंट जनरेटर एवं एल. ई. डी. स्क्रीन (साइज 12'x8') वाहन में होना अनिवार्य है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ संवाद
रायपुर(छ. ग.)